मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल 2014-चैत्र 14, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर खंडपीठ के समक्ष

(मूल कम्पनी क्षेत्राधिकार जबलपुर)

कम्पनी याचिका क्र. 4/2014

कम्पनी याचिका क्र. 2/2014 के साथ कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में

एवं

आकृति शुगर मिल्स प्रायवेट लिमिटेड एवं माँ भगवती शुगर मिल लिमिटेड की समामेलन योजना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत धारा-391-394 के मामले में

एवं

के मामले में :

आकृति शुगर मिल्स प्रायवेट लिमिटेड,
कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कम्पनी
एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-11, 206, सृष्टि कॉम्पलेक्स,
एम. पी. नगर, जोन-I, भोपाल-462 011 (म.प्र.). **याचिकाकर्ता क्र.1/ अंतरक**

माँ भगवती शुगर मिल लिमिटेड,
कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कम्पनी
एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-11, 206, सृष्टि कॉम्पलेक्स,
एम. पी. नगर, जोन-I, भोपाल-462 011 (म.प्र.). **याचिकाकर्ता क्र. 2/ अंतरिती**

याचिका की सूचना

उपरोक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 के अंतर्गत दिनांक 12 मार्च, 2014 को, माँ भगवती शुगर मिल लिमिटेड (अंतरिती कम्पनी) के साथ आकृति शुगर मिल्स प्रायवेट लिमिटेड (अंतरक कम्पनी) की समामेलन योजना की मंजूरी प्राप्त करने के लिये

एक याचिका प्रस्तुत की गई है तथा उपरोक्त याचिका को दिनांक 21 अप्रैल, 2014 को माननीय कम्पनी न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित किया गया है.

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त याचिका का समर्थन या आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हो, तो वह व्यक्ति याचिकाकर्ताओं के अभिभाषक को इस आशय की सूचना, अपना नाम व पता सहित या अपने अभिभाषक के माध्यम से सुनवाई दिनांक से 2 दिन पूर्व भिजवाये, यदि वह आपत्ति करता है तो आपत्ति करने का कारण शपथ-पत्र की प्रतिलिपि सहित सूचना-पत्र के साथ भिजवाये एवं यदि ऐसा व्यक्ति याचिका की प्रति प्राप्त करना चाहता हो तो याचिकाकर्ताओं के अभिभाषक से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकता है.

यतीश लाड़, अभिभाषक
तर्फे याचिकाकर्ता कम्पनियां,
304, जे. वी. कॉम्प्लेक्स,
2/13, रेस कोर्स रोड, इन्दौर.

दिनांक 24 मार्च, 2014

(695-बी.)

अन्य सूचनाएं

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s DAKSH CONSTRUCTION" of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/00238/2009 Date of Registration 20/01/2009 has undergone the following changes:-

1. That Shri Ramesh Chandra Jain S/o Shri Kundan Lal Jain have expressed has desire to retire from the Partnership firm w.e.f. 01st April, 2013.

Ashish Agrawal,
(Working Partner).
"M/s DAKSH CONSTRUCTION"
22, Dwarkapuri, Kotra Road, Bhopal.

(690-B.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s Jain Stone Crusher" of Bhopal Vide Reg. No. 126/2000-2001 Date of Registration 15/03/2001 undergone the following changes:-

1. That Shri Ritesh Jain S/o Shri Gyanchand Jain, Smt. Arti Jain W/o Shri Ritesh Kumar Jain and Master Rounak Jain (Miner) S/o Rajendra Kumar Jain has joined the Partnership firm w.e.f. 01st April, 2005 and Master Rounak Jain has become major and Master Lakshit Jain aged about 6 Years (Miner) S/o Shri Ritesh Jain and Ku. Rashi Jain aged about 17 years (Miner) D/o Shri Rajendra Kumar Jain has joined the Partnership firm w.e.f. 01st April, 2012 and Shri Gyanchand ji Jain have been Voluntary retired from the partnership firm as on 31st March, 2012.

Rajendra Kumar Jain
(Partner).
" M/s Jain Stone Crusher"
Main Road, Banapura, Distt-Hoshangabad (M.P.).

(689-B.)

JAHIR SUCHNA

According to Provisions of partnership Act, 1932 we are intimate to general public that M/s Balaji Constructions, Address 4th Floor, Kuber House, 162 Kanchanbagh, Indore. whose registration No. is 03/27/03/00249/14 of 2013-2014 had retire 1 partner from the firm with effect from 28-11-2013 named Shri Mohit Kashyap S/o Shri Girish Kashyap Resident of D1-46 Sudama Nagar, Indore.

For Balaji Constructions
Anil Sharma,
(Partner).

(691-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ऐलमेग सिस्टम कंट्रोल स्थित प्लाट नं. 14, इंडस्ट्रियल एरिया, तलवार साहब का बाड़ा, बिरला नगर, तानसेन रोड, ग्वालियर में दिनांक 11-03-2014 को भागीदार श्रीमति मधुमिता गुहा रॉय पत्नि श्री प्रदीप गुहा रॉय अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई हैं एवं इसी दिनांक 11-03-2014 से श्रीमती नाहिद शमीम पत्नी श्री मोहम्मद शमीम, निवासी लोहिया बाजार, लश्कर, ग्वालियर फर्म में सम्मिलित हो गई हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मोहम्मद शमीम,
भागीदार.
मैसर्स ऐलमेग सिस्टम कंट्रोल,
स्थित प्लाट नं. 14, इंडस्ट्रियल एरिया, तलवार साहब
का बाड़ा, बिरला नगर, तानसेन रोड, ग्वालियर (म. प्र.)
द्वारा—**श्री हेमंत सिरसट** (कर सलाहकार),
सोगानी एण्ड कम्पनी,
लोहिया बाजार, लश्कर, ग्वालियर.

(694-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मोहन ऑटो सप्लाई सेन्टर, स्थित गोहद चौक, गोहद, जिला भिण्ड में दिनांक 01-04-2014 को श्री संजीव निगौतिया पुत्र स्व. श्री बावूलाल निगौतिया, निवासी सदर बाजार, गोहद अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक से जीतेन्द्र निगौतिया पुत्र श्री मोहनलाल निगौतिया, निवासी-724 साईट नं. 2, पटेल नगर, सिटी सेन्टर, ग्वालियर फर्म में सम्मिलित हो रहे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मोहनलाल निगौतिया,
फर्म मोहन ऑटो सप्लाई सेन्टर,
गोहद चौक, गोहद, जिला भिण्ड (म. प्र.)
द्वारा—**श्री अनिल अग्रवाल** (एडवोकेट),
303, नन्नूमल कॉम्पलेक्स, खुर्जेवाला मोहल्ला,
दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर.

(693-बी.)

सूचना

सर्व-सम्मति से सूचित किया जाता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा-58 धारा 1 के अंतर्गत वर्ष 2002 में गठित फर्म मे. शान्ती कान्स्ट्रक्शन कंपनी, रीवा, पंजीयन क्र. R-div79-2004-2005 में वित्तीय वर्ष 07-08 से निम्न परिवर्तन किया गया है :—

निकलने वाले साझीदार	चालू रहने वाले साझीदार
1. श्री आर. पी. दुबे	1. प्रमोद मिश्र
2. श्रीमती सरला मिश्रा	2. फणीन्द्र मणि मिश्र
3. श्रीमती ममता मिश्रा	
4. श्रीमती अन्नपूर्णा तिवारी	

प्रमोद मिश्र
मे. शान्ती कान्स्ट्रक्शन कंपनी, रीवा.

(696-बी.)

सूचना

सूचित किया जाता है कि मे. मतेश्वरी कन्स्ट्रक्शन फर्म में दिनांक 01-03-2014 से भागीदार क्र. 3 के रूप में श्री महेश साहू S/o श्री मानक लाल साहू, 35, 45 वर्ष फर्म में जुड़ गये हैं.

अरूण कुमार पाण्डेय,
मे. मतेश्वरी कन्स्ट्रक्शन,
रायखेड़ा, जिला सागर (म. प्र.).

(699-बी.)

PUBLIC NOTICE OF DISSOLUTION OF FIRM

(U/S 45 of Indian Partnership Act, 1932)

Be it known to all that partnership firm, consisting of Partners, namely Mr. Sohan Singh Yadav and Mr. Govind Singh Yadav, carrying on business under name and style of M/s Envo Construction Co. at C-55, Padmanabh Nagar, Bhopal (M.P.) has been Dissolved with effect from 01-02-2014.

That the firm was registered with the Registrar of firm under Registration No. 01/01/01/00540/12.

That the Accounts of the debtor and the creditor shall be settled by Mr. Sohan Singh Yadav who has been authorised by the remaining partner to act in this behalf. He has also been authorised to do things as may be necessary to wind up the affairs of the firm and to complete transaction in process at the time of dissolution.

For Envo Construction Co.
Sohan Singh Yadav
(Partner).
(Signature of the Partner giving Notice).

(698-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, गोपाल जी ने अपना नाम परिवर्तन कर रामगोपाल परमार कर लिया है. अत: अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(गोपाल जी)

नया नाम :
(रामगोपाल परमार)
2/1, तिलक पथ, इन्दौर (म. प्र.).

(683-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रवीण गोपाल जी ने अपना नाम परिवर्तन कर प्रवीण कुमार परमार कर लिया है. अत: अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(प्रवीण गोपाल जी)

नया नाम :
(प्रवीण कुमार परमार)
2/1, तिलक पथ, इन्दौर (म. प्र.).

(684-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती शकुन्तला प्रजापति पत्नी श्री दशरथ प्रजापति, उम्र-30 वर्ष, निवासी ग्राम गंगवाहा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश की निवासी हूं और मैं नाम परिवर्तन के लिये सत्य कथन करती हूं कि :—

मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करती हूँ कि ग्राम गंगवाहा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश की निवासी हूं जो कि सही व सच है.

यह कि मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करती हूं कि मेरा पुत्र कक्षा 8वीं का नियमित छात्र है जो महर्षि विद्या मंदिर में अध्ययनरत है जो कि सही व सच है. यह कि मैं शपथकर्ता कथन करती हूं कि मेरा पुत्र भूलवश शिवम चक्रवर्ती लिख गया है जो कि गलत है जबकि मेरा पुत्र का सही नाम शिवम प्रजापति है, जो कि सही व सच है.

यह कि मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवम प्रजापति है जिसे लिखा एवं पढ़ा जावे. जिसे वास्ते मैं उक्त नाम परिवर्तन पत्र प्रस्तुत कर रही हूं.

शकुन्तला
पत्नी श्री दशरथ प्रजापति
नि. सददूपुरा, हाल निवासी गंगवाहा,
तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश.

(685-बी.)

CHANGE OF NAME

I, was known as Suresh Kumar Palakkal, I have changed my name and Henceforth. I shall be known as Suresh Kumar Menon S/o Mr. Matahum Patikkal Narayana Menon Resident of Flat No. 23, Mitra Enclave, Opp. Jabalpur Hospital, Napier Town, Jabalpur (M. P.).

Old Name :

(Suresh Kumar Palakkal)

New Name :

(Suresh Kumar Menon)

(686-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, भोलाराम आत्मज श्री रामचन्द्र निवासी-वर्तमान पता-219, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, तहसील हुजूर, जिला भोपाल एवं स्थाई पता-ग्राम नाहिया, तहसील व जिला बैतूल (म. प्र.) का पूर्व नाम भोलाराम था. जिसे मेरे द्वारा बदलकर अविनाश झाड़े किया जा रहा है, भविष्य में मुझे इसी नाम "अविनाश झाड़े" आत्मज श्री रामचन्द्र से जाना, पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय, अशासकीय विभागों में भी मेरा नया नाम ही मान्य होगा.

पुराना नाम :

(भोलाराम)

नया नाम :

(अविनाश झाड़े)

(687-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मार्कशीट व अन्य कागजातों में गीता शर्मा पुत्री श्री दिलीप लाल था. अत: अब शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती कोमल शर्मा पत्नी ललित शर्मा हो गया है. अत: अब भविष्य में मुझे श्रीमती कोमल शर्मा के नाम से ही जाना व पहचाना जावे. सूचित हो.

पुराना नाम :

(गीता शर्मा)

नया नाम :

(कोमल शर्मा)
पत्नी श्री ललित शर्मा,
निवासी—हनुमान मंदिर के सामने, माधौगंज,
लश्कर, ग्वालियर.

(688-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अंकसूची में पिता का नाम सुनील जेबियर लिखा है परन्तु मेरे वास्तविक पिता का नाम दिलीप सिंघल है. अब मुझे भविष्य में हिमांशु सिंघल पिता स्व. श्री दिलीप सिंघल के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम :

(हिमांशु जेबियर)
पिता सुनील जेबियर
माता प्रेमलता जेबियर

नया नाम :

(हिमांशु सिंघल)
पिता स्व. श्री दिलीप सिंघल,
माता प्रेमलता सिंघल.
निवासी-8 डी, मुस्कान इंडस परिसर,
अयोध्या बायपास रोड, भोपाल (म. प्र.)

(692-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, नरेन्द्र रावत उर्फ नरेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री रमेश सिंह रावत, महल कॉलोनी, इण्डेन गैस एजेन्सी के पास, शिवपुरी (म. प्र.) का निवासी हूँ. मुझे शपथ-पत्र दिनांक 25-3-2014 के अनुसार वास्तविक मैं नरेन्द्र रावत के नाम से जाना जाएगा.

पुराना नाम :

(नरेन्द्र सिंह रावत उर्फ नरेन्द्र रावत)

नया नाम :

(नरेन्द्र रावत)

(697-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 18 मार्च, 2014

संशोधित अधिसूचना

क्र./783/री.ए.डी.एम./2014.— पूर्व में पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इन्दौर शहर के अन्दर नवलखा से अग्रसेन होकर लोहा मण्डी में जाने वाले भार वाहनों को कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 366/री.ए.डी.एम./2014, दिनांक 07 फरवरी, 2014 द्वारा प्रात: 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे एवं सायं 4.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक के मध्य प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था.

दिनांक 05-02-2014 को आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं यातायात समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार यदि दिनांक 10-02-2014 तक स्कीम नं.-78 में लोहा मण्डी को स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता है, तो भारवाही वाहनों को लोहा मण्डी में दिन के समय प्रवेश (केवल लोहा मण्डी से सम्बन्धित लोहे वाले वाहन) को प्रतिबंधित किया जावे.

अत: बैठक में लिये गये निर्णय से सहमत होते हुए मोटरयान नियम-1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-115 में विहित प्रावधानों के अनुपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 366/री.ए.डी.एम./2014, दिनांक 7 फरवरी, 2014 में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, आकाश त्रिपाठी, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर निम्नानुसार व्यस्ततम मार्ग पर उनके सामने दर्शाये गये समय एवं अवधि में ट्रक/भारवाही वाहनों के इन्दौर शहर में आवागमन के सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार प्रतिबन्धित करता हूँ :—

क्र.	मार्ग	प्रतिबंधित समय एवं अवधि	रिमार्क
1.	नवलखा से अग्रसेन होकर लोहा मण्डी में आने-जाने वाले ट्रक/भारवाही वाहनें.	प्रात: 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	केवल लोहा मण्डी से संबंधित लोहे वाले वाहनों के लिये यह प्रतिबंध रहेगा.

1. यह प्रतिबंध केवल भार वाहनों के लिये है, शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप तथा दुपहिया वाहन यथावत् पूर्ववत् चालू रहेंगे.
2. उपरोक्त आदेश विभिन्न विभागों तथा जन-सामान्य आदि से प्राप्त सूचनाओं तथा अन्य निष्कर्षों के आधार पर उक्त आदेश को पूर्णत: / अंशत: यथाअपेक्षित संशोधित किया जा सकेगा. यह आदेश एक मास की अवधि तक प्रभावशील रहेगा, निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति आदि प्राप्त न होने पर यह अधिसूचना स्वत: अमल में आवेगी.

आकाश त्रिपाठी,
जिला दण्डाधिकारी.

(236)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास रहली, जिला सागर

रहली, दिनांक 10 मार्च, 2014

रा. प्र. क्र. /बी/113/2012-13.

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मिट्ठूसींग बल्द गनेशसिंह दांगी ठाकुर, निवासी—ग्राम इमलिया, तहसील रहली, जिला सागर द्वारा एक आवेदन-पत्र धारा-4 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर श्री देव हनुमान जी मंदिर इमलिया, तहसील रहली, जिला सागर की न्यास कमेटी के गठन किए जाने बाबत् प्रस्तुत किया है. जिसकी सुनवाई इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21 अप्रैल, 2014 को दिन को 11.00 बजे नियत की गई है. उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा आवेदन प्रस्तुत करना हो तो वह नियत दिनांक व समय पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं अथवा किसी मान्य अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. बाद म्याद गुजरने किसी भी आपत्ति अथवा आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

1. लोक न्यास का नाम . . श्री देव हनुमान जी मंदिर, ग्राम-इमलिया, तहसील रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश)
2. लोक न्यास का स्वरूप, उत्पत्ति एवं उद्देश्य . . श्री देव हनुमान जी मंदिर, ग्राम-इमलिया, तहसील रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) की पूजा अर्चना उचित प्रबन्धन उन्नति.
3. वह स्थान जहां लोक न्यास का प्रधान कार्यालय . . ग्राम इमलिया, तहसील रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) या कारोबार का प्रधान स्थान पारित है.

4. कार्यवाही न्यासी और प्रबंधक का नाम . . उनके पते सहित. श्री मिट्ठूसिंह बल्द गनेशसिंह दांगी ठाकुर, सा. इमलिया, तहसील रहली, जिला सागर मुख्य कार्यकारी न्यासी/अध्यक्ष

1. राजेन्द्रसिंह बल्द गजराजसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—उपाध्यक्ष.
2. लखनसिंह बल्द अजुर्नसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
3. नारायणसिंह बल्द गनेशसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
4. जगतसिंह बल्द रामसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
5. रघुनाथसिंह बल्द महराजसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
6. वीरेन्द्रसिंह बल्द मिट्ठूसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
7. रघुराजसिंह बल्द नारायणसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
8. विन्द्रावन बल्द बट्ठू आदिवासी सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
9. मोहनसींग बल्द जगन्नाथ सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य

5. न्यासीपद या व्यवस्थापन पद के उत्तराधिकार की रीति. : कार्यकारी समिति के सदस्यों की बैठक में बहुमत के आधार पर चुनाव
6. न्यास से संबंधित योजना कोई हो तो विवरण प्रक्रिया संलग्न करें. : धार्मिक उत्सव उचित रखरखाव विधिवत् पूजापाठ
7. सम्पत्ति का विवरण : ग्राम इमलिया, प. ह. नं. 23, तह. रहली स्थित भूमि स्वामी भूमि

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	लगान
80/2	0.550	4.69
241	0.360	2.50
306	0.050	0.31
योग 3 मेंड़े-	0.960	7.50

एक मंदिर श्री देव हनुमान जी मंदिर, ग्राम इमलिया प्रतिष्ठित पत्थर की मूर्ति

चल सम्पत्ति (1) मुकुट चाँदी एक (2) तिलक चाँदी एक (3) नेत्र चाँदी एक जोड़ी (4)कर्णफूल चाँदी (5) मुश्ठिका चाँदी (6) बाजूबंदी चाँदी (7) कलाईबंद चाँदी (8) गले का हार चाँदी (9) वक्षस्थल श्रीराम आकृति चाँदी (10) छत्र चाँदी (11) करधनी चाँदी (12) पैरबंद चाँदी (13) तिलक चाँदी (14) पॉव बेड़ी चाँदी (15) लाकिट चाँदी (16) माला गले की चाँदी (17) अंगूठी चाँदी (18) स्पीकर (19) माईक (20)माईक स्टेन्ड (21) एम्पलीफायर (22) अलमारी गोदरेज छोटी (23) घण्टा पीतल छोटे-बड़े (24) घड़ी दीवाल (25) सिंचाई मोटर S.H.P-(CRI कम्पनी) (26) पाईप काश्ता कम्पनी काले अकड़ा वाले (27) सेक्शन (28) स्टार्टर (29) नोजल, एडाप्टर, राईजर पाईप (30) इमरजेन्सी छोटा इन्वर्टर (31) हरमोनियम (32) ढोलक-एक (33) मजीरा-एक (34) झूला-एक (35) चमीटा-एक (36) फर्स, बड़ा-एक (37) गैस सिलेण्डर एच. पी.-एक (38) गैस चूल्हा-एक (39) बाल्टी-एक (40) थाली-एक (41) गिलास-एक (42) चिमटा-एक (43) श्रीराम चरितमानस-एक (44) श्रीसुखसागर-एक (45) शंख, बड़ा-एक (46) झालर, पीतल-एक (47) कुर्सी, फाईवर

8. न्यास की आय का साधन : कृषि भूमि, चढ़ोत्री-दान
9. कुल वार्षिक आय : 50,000 रुपए
10. न्यास की संपत्ति पर ऋण का भार : कुछ नहीं.

उद्घोषणा आज दिनांक 10 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. बी. पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, डबरा, जिला ग्वालियर

डबरा, दिनांक 06 मार्च, 2014

प्र. क्र. 01/2013-14/बी-113 (1).

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

आवेदक श्री पौथीराम साहू पुत्र श्री घनश्याम साहू, निवासी-ग्राम मेहगांव, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर एवं अन्य द्वारा "श्री मोदी बाबा धाम ट्रस्ट ग्राम व पोस्ट-गिजौर्रा, डबरा, जिला ग्वालियर, म. प्र." के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास संबंधी कोई न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव रखने वाले इस सूचना के तीस दिवस के अन्दर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और मेरे न्यायालय में मेरे समक्ष नियत अवधि के अन्दर या तो स्वयं या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता	..	श्री मोदी बाबा धाम ट्रस्ट, ग्राम व पोस्ट-गिजौर्रा, डबरा, जिला ग्वालियर, म. प्र.
सम्पत्ति का विवरण		
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	25,000/- रुपये नगद.

बी. विजय दत्ता,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(225)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, शिवपुरी

दिनांक 12 मार्च, 2014

प्र. क्र. 01/2013-14/बी-113.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के तहत]

चूँकि भारत भारती ट्रस्ट लोक न्यास की ओर से आवेदक श्री शेखर कुणाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद दुबे, निवासी खेड़ापति कॉलोनी, शिवपुरी, तहसील व जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन पेश किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को विचार में लिया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों तो लिखित में 2-2 प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं.

उपरोक्त अवधि के अवसान के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	:	भारत भारती ट्रस्ट लोक न्यास खेड़ापति कॉलोनी शिवपुरी तहसील व जिला शिवपुरी.
चल सम्पत्ति	:	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा शिवपुरी मध्यप्रदेश में जमा राशि रुपये 1000/- (एक हजार रुपये मात्र)
अचल सम्पत्ति	:	वर्तमान में निरंक है.

डी. के. जैन,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(226)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

जारी, दिनांक 04 मार्च, 2014

प्रारूप-तृतीय

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि अध्यक्ष, श्री अशोक वामनराव शहाणे, निवासी-19, आदर्श कॉलोनी, बुरहानपुर मध्यप्रदेश ने "श्री गजानन महाराज मंदिर सेवा समिति ट्रस्ट" लक्ष्मी माता नगर लालबाग बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 07 अप्रैल, 2014 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता .. "श्री गजानन महाराज मंदिर सेवा समिति ट्रस्ट"
2. चल सम्पत्ति .. निरंक.
3. अचल सम्पत्ति .. ग्राम लालबाग रै., बुरहानपुर में स्थित खसरा नम्बर 14/1, रकबा 0.978 हैक्टर में से रकबा 0.008 अर्थात 904 वर्गफीट, 1462 वर्गफीट.

के. आर. बड़ौले,
पंजीयक.

(227)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, पेटलावद, जिला झाबुआ

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(2) एवं 5 (1) के अंतर्गत]

इस न्यायालय में श्री कृष्ण मंदिर ट्रस्ट, करड़ावद, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ के ट्रस्टी रणछोड पिता मन्नालाल ठास, निवासी करड़ावद, तहसील पेटलावद द्वारा "श्री कृष्ण मंदिर ट्रस्ट, करड़ावद " तहसील पेटलावद के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया. ट्रस्ट के नाम से जिला सहकारी केन्द्र बैंक के खाता क्रमांक 158000326502 में नगद राशि रुपये 1000/- जमा है.

"श्री कृष्ण मंदिर ट्रस्ट, करड़ावद " तहसील पेटलावद का पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्य या किसी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त ट्रस्ट सम्पत्ति बाबत किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखता हो तो कोई भी अपनी आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में लिखित रूप से उद्घोषणा प्रकाशन के एक माह के भीतर दिनांक 28 मार्च, 2014 को मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक या मुख्त्यार के द्वारा प्रस्तुत कर सकता है, मियाद बाद प्राप्त आपत्ति पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 20 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

विष्णु कमलकर,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(228)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना गुना

गुना, दिनांक 05 मार्च, 2014

प्र. क्र. 03/ बी-113/2013-14/597.

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शांतिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर, बजरंगगढ़ पब्लिक ट्रस्ट पोस्ट बजरंगगढ़, तहसील एवं जिला गुना द्वारा—अध्यक्ष एवं सचिव श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर, बजरंगगढ़ की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया है कि श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर, बजरंगगढ़, पब्लिक ट्रस्ट पंजीयन क्रमांक 14 बी-113/1966-67

के अधीन दिनांक 01 मई, 1968 से पंजीयत है. उक्त शांतिनाथ दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर, बजरंगगढ़ पब्लिक ट्रस्ट ने कोई नये नियम नहीं बनाये हैं और न ही पुराने विधान के साथ छेड़छाड़ किया है. पुराने विधान में ही संशोधित विधान समाविष्ट होना है. अत: पूर्व विधान में नवीन संशोधन/परिवर्तन समाविष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है. उस अनुसार रिकार्ड में संशोधन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. उक्त आवेदन के संबंध में जिस किसी को कोई आपत्ति है तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 21-04-2014 तक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उक्त दिनांक निकल जाने के उपरांत किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी.

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 04 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

टी. एन. सिंह,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(229)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट, बद्री मोहल्ला, इन्दौर, कार्यालय-बोहरा मजिस्द, छावनी, इन्दौर की ओर से श्री मुस्तफा असगर अली चांद भाईवाला, निवासी 89, आर. एन. टी. मार्ग, छावनी, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट, बद्री मोहल्ला, इन्दौर.
कार्यालय	:	बोहरा मजिस्द, छावनी, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,200/- (रुपये पांच हजार दो सौ मात्र).

आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(230)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

सुफलाम सेवा न्यास, कार्यालय 33/3, जीतमल बिल्डिंग, मुराई मोहल्ला, प्रगति चेम्बर के पास, छावनी, इन्दौर की ओर से श्री आशीष आचार्य पिता श्री गोविंद आचार्य, निवासी 291, साकेत नगर, इन्दौर एवं अन्य 5 द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम : सुफलाम सेवा न्यास

कार्यालय : 33/3, जीतमल बिल्डिंग, मुराई मोहल्ला, प्रगति चेम्बर के पास, छावनी, इन्दौर.

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : रुपये 21,000/- (रुपये इक्कीस हजार मात्र).

आज दिनांक 14 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(230-A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

द फोर्थ वॉच मिनिस्ट्रीज, कार्यालय 136, पंचवटी कॉलनी, ए. बी. रोड, इन्दौर की ओर से श्री जॉन अरोग्यापा सॅम्युअल, 1/7-बी, प्रेरणा स्कूल के पास प्रेमालय, पूणे, महाराष्ट्र द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम : द फोर्थ वॉच मिनिस्ट्रीज

कार्यालय : 136, पंचवटी कॉलनी, ए. बी. रोड, इन्दौर.

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : रुपये 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार मात्र).

आज दिनांक 14 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(230-B)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगम्बर जैन श्रमण संस्कृति धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, कार्यालय 1-2, स्मृति नगर, छोटाबांगडा, इन्दौर की ओर से श्री अनिल कुमार पिता सुभाषचंद्र जैन, पता 381-382 स्मृति नगर, इन्दौर एवं अन्य 2 द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगम्बर जैन श्रमण संस्कृति धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट.
कार्यालय	:	1-2, स्मृति नगर, छोटाबांगडा, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 3,001/- (रुपये तीन हजार एक मात्र).

आज दिनांक 14 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(230-C)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

ब्रह्मलीन श्री सुगनामल माटा एवं ब्रह्मलीन श्री कन्हैयालाल परयानी पारमार्थिक न्यास, इन्दौर, कार्यालय 1-2, स्मृति नगर, छोटाबांगडा, इन्दौर की ओर से श्री लालचन्द्र पिता सुगनामल परयानी, निवासी 1040, ए-सुदामा नगर, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	ब्रह्मलीन श्री सुगनामल माटा एवं ब्रह्मलीन श्री कन्हैयालाल परयानी पारमार्थिक न्यास, इन्दौर.
कार्यालय	:	1-2, स्मृति नगर, छोटाबांगडा, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 1000/- (रुपये एक हजार मात्र).

आज दिनांक 14 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(230-D)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

श्री अभ्युदय फाउण्डेशन ट्रस्ट, कार्यालय-102, सुखदेव नगर, एरोड्रम रोड, इन्दौर की ओर से श्री प्रदीप पिता यशंवतलाल जैन, निवासी-302, श्री मक्तावर महातीर्थ अभ्युदय धार, इन्दौर अहमदाबाद हाईवे धार, महू, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री अभ्युदय फाउण्डेशन ट्रस्ट.
कार्यालय	:	102, सुखदेव नगर, एरोड्रम रोड, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 2,151/- (रुपये दो हजार एक सौ इक्कावन मात्र).

आज दिनांक 14 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(230-E)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

श्री स्वामी रामानंद सेवा संस्थान एवं पारमार्थिक ट्रस्ट कार्यालय 1, अर्चना अपार्टमेंट, 8-बी, रतलाम कोठी, इन्दौर की ओर से श्री गौरव पिता गोकुलदास बांगड, निवासी-4, सदर बाजार, कुम्भराज, जिला गुना द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री स्वामी रामानंद सेवा संस्थान एवं पारमार्थिक ट्रस्ट.
कार्यालय	:	1, अर्चना अपार्टमेंट, 8-बी, रतलाम कोठी, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,000/- (रुपये पाँच हजार मात्र).

आज दिनांक 14 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,
रजिस्ट्रार.

(230-F)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

विदिशा, दिनांक 10 मार्च, 2014

प्र.क्र. 06/बी-113/2011-12.

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

श्री केदारनाथ कटारे, प्रबंधक एवं अन्य संस्थापक न्यासीगण द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 10 अप्रैल, 2014 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 10 अप्रैल, 2014 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता	..	श्री खुशीलाल तिवारी स्मृति परमार्थ सार्वजनिक न्यास, दण्डोतिया सदन, माधवगंज खरीफाटक रोड विदिशा.
2. चल सम्पत्ति	..	रु. 10,000/- नकद ओरियन्टल बैंक खाता नं. 10236 में जमा (जो न्यास गठन के बाद अलग खाता खोलकर जमा किया जावेगा).
3. अचल सम्पत्ति	..	वर्तमान में नगर में कोई अचल सम्पत्ति ट्रस्ट की नहीं है.

ए. के. सिंह,
रजिस्ट्रार.

(235)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2004/1012, विदिशा, दिनांक 25 मई, 2004 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शमशाबाद, तहसील नटेरन, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./292, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर श्री जी. के. पंजाबी, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शमशाबाद, तहसील नटेरन, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, शमशाबाद, तहसील नटेरन, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./292, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(231)

विदिशा, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चकपाटनी, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./291, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एस. के. जैन, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, विदिशा को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चकपाटनी, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चकपाटनी, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./291, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(231-A)

विदिशा, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1971/213, विदिशा, दिनांक 15 जनवरी, 1971 से चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, सौराई, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1816, दिनांक 07 अप्रैल, 1954 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड, विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, सौराई, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, सौराई, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/1816, दिनांक 07 अप्रैल, 1954 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(231-B)

विदिशा, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1971/255, विदिशा, दिनांक 18 जनवरी, 1971 से चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, बर्रो, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक 14378, दिनांक 20 जुलाई, 1959 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड, विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, बर्रो, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, बर्रो, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक 14378, दिनांक 20 जुलाई, 1959 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(231-C)

विदिशा, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1970/2820, विदिशा, दिनांक 14 सितम्बर, 1970 से चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, करैया, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक 4625, दिनांक 30 जनवरी, 1947 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड, विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, करैया, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, करैया, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक 4625, दिनांक 30 जनवरी, 1947 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(231-D)

विदिशा, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1968/6756, विदिशा, दिनांक 23 जुलाई, 1968 से चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, भैलसा, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक 343, दिनांक 15 अगस्त, 1918 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड, विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, भैलसा, तहसील व जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, भैलसा, तहसील व जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक 343, दिनांक 15 अगस्त, 1918 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(231-E)

विदिशा, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2009/1130, विदिशा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बगरोदा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./674, दिनांक 19 जनवरी, 2004 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड, सिरोंज को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बगरोदा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बगरोदा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./674, दिनांक 19 जनवरी, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(231-F)

विदिशा, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1988/373, विदिशा, दिनांक 13 फरवरी, 1989 से क्रिकोल ट्रेडर्स सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक 467, दिनांक 21 जनवरी, 1959 को परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. के. दुबे, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा क्रिकोल ट्रेडर्स सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये क्रिकोल ट्रेडर्स सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक 467, दिनांक 21 जनवरी, 1959 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(231-G)

विदिशा, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2009/1122, विदिशा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नरखेड़ा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./569, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सिरोंज को समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नरखेड़ा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयनं निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नरखेड़ा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./569, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(231-H)

विदिशा, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2004/767, विदिशा, दिनांक 25 मार्च, 2004 से प्राथमिक हरिजन आदिवासी खनिज कामगार

सहकारी संस्था मार्यदित गोड़खेड़ी, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./540, दिनांक 19 फरवरी, 1996 को परिसमापन में लाया गया था जिसमें वर्तमान में श्री रामसिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं जिला विदिशा समापक हैं.

समापक द्वारा प्राथमिक हरिजन आदिवासी खनिज कामगार सहकारी संस्था मार्यदित गोड़खेड़ी, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक हरिजन आदिवासी खनिज कामगार सहकारी संस्था मार्यदित गोड़खेड़ी, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./540, दिनांक 19 फरवरी, 1996 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(231-I)

विदिशा, दिनांक 22 अक्टूबर, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1967/2445, विदिशा, दिनांक 25 मई, 1967 से विदिशा मैकेनिकल मोल्डिंग सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./019, दिनांक 02 जनवरी, 1960 को परिसमापन में लाया गया था. जिसमें वर्तमान में श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, विदिशा समापक है.

समापक द्वारा विदिशा मैकेनिकल मोल्डिंग सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विदिशा मैकेनिकल मोल्डिंग सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./व्ही.डी.एस./019, दिनांक 02 जनवरी, 1960 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(231-J)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, चंबल संभाग, मुरैना

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1293.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था मधु मक्खी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, मुरैना, पंजीयन क्रमांक 1342, दिनांक 27 अगस्त, 2007 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति

के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-मधु मक्खी पालन सहकारी संस्था मर्यादित, मुरैना के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1294.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित, मुरैना, पंजीयन क्रमांक 1341, दिनांक 22 अगस्त, 2007 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित, मुरैना के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232-A)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1295.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था ईट-चूना उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मृगपुरा, पंजीयन क्रमांक 508, दिनांक 05 नवम्बर, 1987 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-ईट-चूना उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मृगपुरा के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232-B)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1296.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था भवन सामग्री सहकारी संस्था मर्यादित, जीवाजीगंज मुरैना, पंजीयन क्रमांक 520, दिनांक 05 जुलाई, 1981 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-भवन सामग्री सहकारी संस्था मर्यादित, जीवाजीगंज मुरैना के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232-C)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1297.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था ईट चूना उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, दत्तपुरा मुरैना, पंजीयन क्रमांक 460, दिनांक 3 दिसम्बर, 1980 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष- ईट चूना उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, दत्तपुरा मुरैना के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232-D)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1298.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था ईट भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, रिठोराकला, पंजीयन क्रमांक 462, दिनांक 15 मार्च, 1994 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-ईट भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, रिठोराकला के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232-E)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1299.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था भवन साम्रगी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, खाण्डोली, पंजीयन क्रमांक 484, दिनांक 25 अगस्त, 1987 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष- भवन साम्रगी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, खाण्डोली के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232-F)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1300.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था बैलगाडी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मुरैना, पंजीयन क्रमांक 559, दिनांक 09 दिसम्बर, 1982 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-बैलगाडी उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मुरैना के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232-G)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1301.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था गणेश खनवरियान सहकारी संस्था मर्यादित, बानमोर, पंजीयन क्रमांक 391, दिनांक 16 जून, 1993 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष- गणेश खनवरियान सहकारी संस्था मर्यादित, बानमोर के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232-H)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1302.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, रजोधा, पंजीयन क्रमांक 1144, दिनांक 14 दिसम्बर, 1999 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, रजोधा के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232-I)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1303.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, वीलपुर पंजीयन क्रमांक 1281, दिनांक 30 सितम्बर, 2004 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, वीलपुर के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232-J)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1304.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कुकथरी, पंजीयन क्रमांक 1254, दिनांक 23 जून, 2004 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, कुकथरी के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232-K)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1305.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था विजपानंद महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, दीपेहरा, पंजीयन क्रमांक 1262, दिनांक 21 जुलाई, 2004 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष- विजपानंद महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, दीपेहरा के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232-L)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1306.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था इन्द्रा गाँधी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, हारगॉगोली, पंजीयन क्रमांक 1283, दिनांक 04 अक्टूबर, 2004 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-इन्द्रा गाँधी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, हारगॉगोली के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232-M)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1307.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पासोनकला, पंजीयन क्रमांक 1280, दिनांक 30 सितम्बर, 2004 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष- महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पासोनकला के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232-N)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1308.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था मथुरा देवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गौल्हारी, पंजीयन क्रमांक 1213, दिनांक 09 मार्च, 2004 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-मथुरा देवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, गौल्हारी के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(232-O)

मुरैना, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18 (क) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2013/1309.—कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुरैना से प्राप्त पत्र क्रमांक 482, दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 से यह अवगत कराया है कि जिले में पंजीकृत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, वनवारा, पंजीयन क्रमांक 1268, दिनांक 12 अगस्त, 2004 विगत 2-3 वर्षों से अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. इस हेतु निर्धारित संचालक मण्डल की बैठक, आमसभा, अंकेक्षण जैसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निष्पादन की चूक की जानकारी भी उपरोक्त पत्र में उल्लेखित है.

उपरोक्त सूचना के आधार पर मुझे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त दर्शित कार्य जिसके लिए संस्था गठित की गई है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अंतर्गत निर्धारित कार्य एवं कर्तव्यों के निर्वहन में सतत् चूक कर रही है. फलस्वरूप सदस्यों के हित में गठित की गई इस संस्था का पंजीकरण अनुसार दर्ज विवरण के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. अतएव संस्था को अध्यक्ष-महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, वनवारा के माध्यम से एवं समस्त सम्बन्धित सदस्यगणों को एतद्द्वारा यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर भेजा जाता है कि उनकी संस्था का पंजीकरण क्यों न निरस्त कर दिया जाए तथा इस सम्बन्ध में यदि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो दिनांक 10 जनवरी, 2014 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. अन्यथा यह मानकर कि वे इस नोटिस के सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है, आगामी संस्था पंजीकरण निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अभय कुमार खरे,
संयुक्त पंजीयक.

(232-P)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

गुना, दिनांक 19 फरवरी, 2014

क्र./विधि./2014/209.—मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित मधुसुदनगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक 965, दिनांक 15 जनवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/13/588, दिनांक 30 मई, 2013 दिया गया था. सूचना-पत्र में वर्णित आरोपों का उत्तर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर चाहा गया था. निर्धारित समयावधि पश्चात् कोई भी पक्ष समर्थन संस्था द्वारा नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नही कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध है.

अत: मैं, सी. पी. सिंह भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-

पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक के अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. के. वास्त्री, सह. निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा इन्हें आदेश देता हूँ कि वे इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 03 माह की समयावधि में संस्था की आस्तियों/दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु परिसमापक की हैसियत से संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. पी. सिंह भदौरिया,
उप-पंजीयक.

(208-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 10 मार्च, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/500.—निम्न सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत हैं. इन संस्थाओं को कार्यालयीन पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2013 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना -पत्र जारी किये गये. परन्तु उत्तर अप्राप्त रहा. पुन: कार्यालयीन पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 2013, 24 सितम्बर, 2013 से उत्तर प्रस्तुति हेतु स्मरण पत्र दिये जाकर 15 दिवस में उत्तर चाहा गया साथ ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/1639, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 से सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कराया गया जो मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-3 (1) में दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 को प्रकाशित हुआ.

परन्तु संस्थाओं की ओर से कोई लिखित/मौखिक पक्ष समर्थन नहीं किया गया जो इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये पर्याप्त है कि संस्थाएं बंद हैं एवं इनके वर्तमान में कार्यशील होने की कोई कार्ययोजना नहीं है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला मुरैना द्वारा पूर्व में इन्हें परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्थाएं वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील हैं. अत: निम्न संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री भाष्कर शर्मा, व. स. नि. कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण सहकारिता, जिला मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि सहकारिता अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्थाओं की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जावे.

क्र.	संस्था का नाम	पंजी. क्र./दिनांक
1	2	3
1.	कोआ. सेविंग साख सहकारी संस्था, मुरैना	181/02-03-1963
2.	एल. आई. सी. कर्म. साख सहकारी संस्था, मुरैना	844/19-10-1982
3.	महिला एकता साख सहकारी संस्था, जौरा	1137/21-04-1999
4.	प्राथ. बुनकर सहकारी संस्था, हिगोनाखुर्द	353/30-09-1992
5.	जय दुर्गे बुनकर सहकारी संस्था, मुरैना	205/19-09-1980
6.	फलसाग भाजी सहकारी संस्था, कच्चापुरा	1100/10-09-1996
7.	इन्द्रा फल साग भाजी सहकारी संस्था, दोहरी	1173/12-09-2001
8.	करन फल भाजी सहकारी संस्था, माफल का पुरा	1174/12-09-2001
9.	सो. गां. फल भाजी सहकारी संस्था, श्यामपुर	1175/12-09-2001
10.	एमएलडी फल भाजी सहकारी संस्था, भाडोली	1176/12-09-2001
11.	रामप्रसाद फल भाजी सहकारी संस्था, पोरसा	1177/14-09-2001
12.	नागाजी फल भाजी सहकारी संस्था, तिन्दोखर	1178/14-09-2011
13.	नारी कल्याण सहकारी संस्था, गोस्वामी रोड, मुरैना	495/24-08-1981
14.	नारी कल्याण सहकारी संस्था, सब्जी मण्डी, मुरैना	529/23-02-1982

1	2	3
15.	सिलाई उद्योग सहकारी संस्था, मुरैना	470/27-02-2008
16.	सिलाई उद्योग सहकारी संस्था, पोरसा	44/06-10-1980
17.	बामसेफ लेदर सहकारी संस्था, मुरैना	517/18-11-1981
18.	आदर्श तेल उद्योग सहकारी संस्था, जींगनी	227/22-01-1991
19.	संजय शक्ति चलित सहकारी संस्था, अम्बाह	461/03-12-1980
20.	एकता रिफायनरी सहकारी संस्था, बामोर	588/03-08-1985
21.	लोहाकार सहकारी संस्था उद्योग, मुरैना	543/18-08-1982
22.	बूमेन वेलफेयर सहकारी संस्था, मुरैना	115/14-08-1989
23.	आदर्श मसाला उद्योग सहकारी संस्था, मुरैना	1057/04-10-1995
24.	ईट चूना उद्योग सहकारी संस्था, नावली	408/04-12-1979
25.	ईट चूना उद्योग सहकारी संस्था, गढौरा	450/03-11-1980
26.	भवन सामग्री सहकारी संस्था, दीखतपुरा	485/04-04-1987
27.	भवन सामग्री सहकारी संस्था, लक्ष्मण तलैया	527/17-07-1981
28.	आदर्श भवन सामग्री सहकारी संस्था, रामनगर	586/11-07-1986
29.	हरिजन पत्थर उद्योग सहकारी संस्था, सर्वजीतपुरा	719/05-02-1988
30.	ईट चूना उद्योग सहकारी संस्था, मुडियाखेडा	732/15-11-1989
31.	भवन सामग्री उद्योग सहकारी संस्था, लल्लूवसई	493/24-07-1991
32.	ईट चूना उद्योग सहकारी संस्था, खिरावली	391/25-07-1992
33.	पटियावाले श्रमिक खदान उद्योग सहकारी संस्था, नूराबाद	1355/15-08-2006
34.	प्राथ. यातायात सहकारी संस्था, मुरैना	58/29-10-1993
35.	बजरंग यातायात सहकारी संस्था, मुरैना	61/21-12-1994
36.	नागाजी यातायात सहकारी संस्था, अम्बाह	50/26-12-1993
37.	डा. अम्बेडकर खनिज सहकारी संस्था, रसीलपुर	961/17-03-1993
38.	बाबा रामदास खदान उद्योग सहकारी संस्था, गढाजर	1070/30-03-1996
39.	आदिवासी खदान उद्योग सहकारी संस्था, बघेवर	1103/06-02-2000
40.	कामतानाथ परिवार कल्याण सहकारी संस्था, मुरैना	1138/23-05-1999
41.	मोहन स्टेशनरी सहकारी संस्था, मुरैना	89/29-06-1988
42.	शिवम् पेपर स्टेशनरी सहकारी संस्था, मुरैना	168/05-08-1990
43.	महिला स्टेशनरी सहकारी संस्था, मुरैना	1115/31-12-1996
44.	बहु. सहकारी स. मर्या., मुरैनागॉव	383/04-07-1959
45.	महिला बहु. सहकारी संस्था, महाराजपुर	1136/07-02-1999
46.	महिला बहु. सहकारी संस्था, नूरावाद	1285/04-10-2004
47.	महिला बहु. सहकारी संस्था, घुरधान	1267/12-08-2004
48.	जयकाली माँ महिला बहु. सहकारी संस्था, सुरजनपुर	1336/28-02-2007
49.	महिला बहु. सहकारी संस्था, बिजलीकापुरा	1152/18-07-2000
50.	रामक्वारी महिला बहु. सहकारी संस्था, डोगरपुर	1195/12-12-2002

1	2	3
51.	जय कैलादेवी महिला बहु. सहकारी संस्था, विलगॉवक्वारी	1327/25-05-2006
52.	शक्ति पुज महिला बहु. सहकारी संस्था, मुन्द्रावजा	1192/30-10-2002
53.	लीलावती महिला बहु. सहकारी संस्था, मोदना भीकम	1196/18-12-2002
54.	महिला बहु. सहकारी संस्था, उम्मेदगढवासी	1220/21-04-2004
55.	माँ वैष्णोदेवी महिला बहु. सहकारी संस्था, विलगॉवचौधरी	1278/31-09-2004
56.	महिला बहु. महिला सहकारी संस्था, सुजानगढी	1286/06-01-2004
57.	पीताम्बरा महिला बहु. सहकारी संस्था, नाहरदोकी	1287/06-10-2004
58.	गायत्री महिला बहु. सहकारी संस्था, तोरतिलावली	1320/21-01-2006
59.	श्री जी महिला बहु. सहकारी संस्था, बर्रेण्ड	1323/05-04-2006
60.	माँ चौरेडगरेवाली महिला बहु. सहकारी संस्था, खेडा डिगरवार	1198/02-07-2004
61.	महिला बहु. सहकारी संस्था, रामपुरर्गिद	1269/02-07-2004
62.	अन्तोदय महिला बहु. सहकारी संस्था, जागीरसराय	1779/30-09-2004
63.	महिला बहु. सहकारी संस्था, बावरीपुरा	1282/04-10-2004
64.	माँ ककाली महिला बहु. सहकारी संस्था, वरोठा	1288/06-10-2004
65.	जयदुर्गे महिला बहु. सहकारी संस्था, गोवरा	1306/31-03-2008
66.	माँ सती महिला बहु. सहकारी संस्था, गलेथा	1284/04-10-2004
67.	महिला बहु. महिला सहकारी संस्था, जींगनी	1191/12-08-2002
68.	श्रमजीवी मुद्रणालय सहकारी संस्था, मुरैना	970/20-06-2004
69.	नागरिक साख सहकारी संस्था, मुरैना	1215/27-03-2004
70.	कन्टेक्शन मटे. खनिज सहकारी संस्था, लालताकापुरा	571/03-06-1996
71.	जय गोपाजी महिला बहु. सहकारी संस्था, छौंदा	1360/29-12-2008

यह आदेश आज दिनांक 10 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(234)

मुरैना, दिनांक 18 फरवरी, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/315.—निम्न सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत हैं. इन संस्थाओं को कार्यालयीन पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2013 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना -पत्र जारी किये गये. परन्तु उत्तर अप्राप्त रहा. पुन: कार्यालयीन पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 2013, 24 सितम्बर, 2013 से उत्तर प्रस्तुति हेतु स्मरण पत्र दिये जाकर 15 दिवस में उत्तर चाहा गया साथ ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/1639, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 से सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कराया गया जो मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-3 (1) में दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 को प्रकाशित हुआ.

परन्तु संस्थाओं की ओर से कोई लिखित/मौखिक पक्ष समर्थन नहीं किया गया जो इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये पर्याप्त है कि संस्थाएं बंद हैं एवं इनके वर्तमान में कार्यशील होने की कोई कार्ययोजना नहीं है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला-मुरैना द्वारा पूर्व में इन्हें परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्थाएं वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील हैं. अत: निम्न संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा प्रभारी प्रबंधक, दुग्ध संघ, मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा

आदेशित करता हूँ कि सहकारिता अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्थाओं की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जावे.

क्र.	संस्था का नाम	पंजी. क्र./दिनांक
1	2	3
1.	दुग्ध उत्पादक सह. स., अजनौधा	476/01-02-1981
2.	दुग्ध उत्पादक सह. स., लल्लूबसई	456/01-02-1981
3.	दुग्ध उत्पादक सह. स., सिहोनिया	851/04-02-1989
4.	दुग्ध उत्पादक सह. स., रुअरिया	850/04-02-1989
5.	दुग्ध उत्पादक सह. स., महूरी	855/04-02-1989
6.	दुग्ध उत्पादक सह. स., माताकापुरा	852/04-02-1989
7.	दुग्ध उत्पादक सह. स., बावरीपुरा	924/16-01-1990
8.	दुग्ध उत्पादक सह. स., लीटियापुरा	922/16-01-1990
9.	दुग्ध उत्पादक सह. स., पिपरौआ	1229/31-05-2004
10.	दुग्ध उत्पादक सह. स., चमरगवा	1276/23-09-2004
11.	दुग्ध उत्पादक सह. स., मुन्द्रावजा	556/05-05-1983
12.	दुग्ध उत्पादक सह. स., सुमावली	536/26-05-1982
13.	दुग्ध उत्पादक सह. स., बागचीनी	538/26-05-1982
14.	दुग्ध उत्पादक सह. स., भैसरोली	548/26-05-1982
15.	दुग्ध उत्पादक सह. स., उम्मेदगढवासी	550/26-05-1982
16.	दुग्ध उत्पादक सह. स., चैना	558/26-05-1982
17.	दुग्ध उत्पादक सह. स., टिकटोली	556/26-05-1982
18.	दुग्ध उत्पादक सह. स., भटपुरानदी	1180/15-07-2002
19.	दुग्ध उत्पादक सह. स., डिडोखर	1303/02-02-2005
20.	दुग्ध उत्पादक सह. स., छोटेसिंहकापुरा	1321/14-06-2002
21.	दुग्ध उत्पादक सह. स., बरोली	813/27-01-1989
22.	दुग्ध उत्पादक सह. स., माधौपुरा	1085/20-08-1995
23.	दुग्ध उत्पादक सह. स., दोहरी	478/07-02-1981
24.	दुग्ध उत्पादक सह. स., नावली	622/30-05-1986
25.	दुग्ध उत्पादक सह. स., वित्तकापुरा	673/27-03-1987
26.	दुग्ध उत्पादक सह. स., कल्लूकापुरा	675/06-04-1987
27.	दुग्ध उत्पादक सह. स., चिन्टेकापुरा	802/30-11-1988
28.	दुग्ध उत्पादक सह. स., रुद्रकापुरा	808/30-11-1988
29.	दुग्ध उत्पादक सह. स., विचौला	816/27-01-1989
30.	दुग्ध उत्पादक सह. स., ऐसाह	823/27-01-1989
31.	दुग्ध उत्पादक सह. स., नयापुरा	829/27-01-1989
32.	दुग्ध उत्पादक सह. स., चतुरकीगढ़ी	856/04-02-1989
33.	दुग्ध उत्पादक सह. स., विजलीकापुरा	889/16-05-1989

1	2	3
34.	दुग्ध उत्पादक सह. स., धनसुला	1181/16-05-1989
35.	दुग्ध उत्पादक सह. स., छिददेकापुरा	1186/16-05-1989
36.	दुग्ध उत्पादक सह. स., टीकतपुरा	1182/16-05-1989
37.	दुग्ध उत्पादक सह. स., चॉदकापुरा	1297/12-04-2004
38.	दुग्ध उत्पादक सह. स., खेरो	1216/12-04-2004
39.	दुग्ध उत्पादक सह. स., तालकापुरा	1297/12-04-2004
40.	दुग्ध उत्पादक सह. स., अजुध्दीपुरा	1218/12-04-2004
41.	दुग्ध उत्पादक सह. स., तरैनी	1286/30-04-2004
42.	दुग्ध उत्पादक सह. स., भौनपुरा	1234/10-06-2004
43.	दुग्ध उत्पादक सह. स., पाली	1265/03-08-2004
44.	दुग्ध उत्पादक सह. स., गणेशपुरा	1270/13-08-2004
45.	दुग्ध उत्पादक सह. स., पंचमपुरा	1275/23-09-2004
46.	दुग्ध उत्पादक सह. स., जुझकी	1301/01-12-2004
47.	दुग्ध उत्पादक सह. स., पुरावसखुर्द	1331/10-02-2006
48.	दुग्ध उत्पादक सह. स., बीजला	1324/28-03-2006
49.	दुग्ध उत्पादक सह. स., सेथराअहीर	628/30-05-1986
50.	दुग्ध उत्पादक सह. स., रजोघा	630/30-05-1986
51.	दुग्ध उत्पादक सह. स., भदावली	631/30-05-1986
52.	दुग्ध उत्पादक सह. स., डोडरी	633/30-05-1986
53.	दुग्ध उत्पादक सह. स., नगरापोरसा	638/30-05-1986
54.	दुग्ध उत्पादक सह. स., वनवरिया	734/11-03-1988
55.	दुग्ध उत्पादक सह. स., हिगोटियाई	824/27-01-1989
56.	दुग्ध उत्पादक सह. स., विजयगढ़	834/27-01-1989
57.	दुग्ध उत्पादक सह. स., साठों	835/27-01-1989
58.	दुग्ध उत्पादक सह. स., कुरेठा	837/27-01-1989
59.	दुग्ध उत्पादक सह. स., खेरली	836/27-01-1989
60.	दुग्ध उत्पादक सह. स., सिलावली	838/27-01-1989
61.	दुग्ध उत्पादक सह. स., महुआ	839/27-01-1989
62.	दुग्ध उत्पादक सह. स., कोथरकला	842/27-01-1989
63.	दुग्ध उत्पादक सह. स., कोथरखुर्द	846/27-01-1989
64.	दुग्ध उत्पादक सह. स., नंदकापुरा	621/30-05-1986
65.	दुग्ध उत्पादक सह. स., घोर्रा	900/28-02-1991
66.	दुग्ध उत्पादक सह. स., साधूकापुरा	966/18-10-1993
67.	दुग्ध उत्पादक सह. स., मानधातकापुरा	1026/31-03-1995
68.	दुग्ध उत्पादक सह. स., खोयला	1029/31-03-1995
69.	दुग्ध उत्पादक सह. स., बहोरपुरा	1212/09-03-2004

1	2	3
70.	दुग्ध उत्पादक सह. स., जाहरपुर	1235/10-06-2004
71.	दुग्ध उत्पादक सह. स., पाटीवारा	1263/20-07-2004
72.	दुग्ध उत्पादक सह. स., रावतकी	1268/03-08-2004
73.	दुग्ध उत्पादक सह. स., सेथराबाडई	1272/10-08-2004
74.	दुग्ध उत्पादक सह. स., पाली	1297/01-12-2004
75.	दुग्ध उत्पादक सह. स., अकोलेकापुरा	1298/01-12-2004
76.	दुग्ध उत्पादक सह. स., बजरिया	1299/01-12-2004
77.	दुग्ध उत्पादक सह. स., पुरोहितकापुरा	1300/01-12-2004

यह आदेश आज दिनांक 18 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(209)

मुरैना, दिनांक 18 फरवरी, 2014

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2014/316.—निम्न सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत हैं. इन संस्थाओं को कार्यालयीन पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2013 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना -पत्र जारी किये गये परन्तु उत्तर अप्राप्त रहा. पुन: कार्यालयीन पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 2013, 24 सितम्बर, 2013 से उत्तर प्रस्तुति हेतु स्मरण पत्र दिये जाकर 15 दिवस में उत्तर चाहा गया साथ ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/1639, दिनांक 26 सितम्बर, 2013 से सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कराया गया जो मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-3, (1) में दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 को प्रकाशित हुआ.

परन्तु संस्थाओं की ओर से कोई लिखित/मौखिक पक्ष समर्थन नहीं किया गया जो इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये पर्याप्त है कि संस्थाएं बंद हैं एवं इनके वर्तमान में कार्यशील होने की कोई कार्ययोजना नहीं है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला-मुरैना द्वारा पूर्व में इन्हें परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्थाएं वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील हैं. अत: निम्न संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुये निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. एल. गुप्ता, स. नि. कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि सहकारिता अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्थाओं की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जावे.

क्र.	संस्था का नाम	पंजी. क्र./दिनांक
1	2	3
1.	तिलहन उत्पादक, मिरघान	572/27-12-1984
2.	तिलहन उत्पादक, जींगनी	573/27-12-1984
3.	तिलहन उत्पादक, अजनोधा	585/31-03-1986
4.	तिलहन उत्पादक, जारह	618/04-04-1986
5.	तिलहन उत्पादक, जनकपुर	663/21-08-1986
6.	तिलहन उत्पादक, सरायछोला	669/20-03-1987
7.	तिलहन उत्पादक, मेहचन्द्रपुरा	725/22-05-1988
8.	तिलहन उत्पादक, डोंगरपुर किरार	751/24-03-1988
9.	तिलहन उत्पादक, पिपरई	952/30-09-1991
10.	तिलहन उत्पादक, अरदौनी	935/30-09-1991
11.	तिलहन उत्पादक, धनेला	611/04-04-1986
12.	तिलहन उत्पादक, हुसैनपुर	605/31-03-1986

1	2	3
13.	तिलहन उत्पादक, छैरा	579/22-12-1984
14.	तिलहन उत्पादक, सरसेनी	614/04-04-1986
15.	तिलहन उत्पादक, बर्रेड	615/04-04-1986
16.	तिलहन उत्पादक, सुमावली	724/04-03-1988
17.	तिलहन उत्पादक, मई	743/24-03-1988
18.	तिलहन उत्पादक, धमकन	776/06-07-1988
19.	तिलहन उत्पादक, चैना	777/06-07-1988
20.	तिलहन उत्पादक, टुडीला	884/06-04-1989
21.	तिलहन उत्पादक, किरावली	604/31-03-1986
22.	तिलहन उत्पादक, शहदपुर	607/31-03-1986
23.	तिलहन उत्पादक, दीपेरा	616/04-04-1986
24.	तिलहन उत्पादक, निरारा	650/20-03-1987
25.	तिलहन उत्पादक, सुजानगढ़ी	649/20-03-1987
26.	तिलहन उत्पादक, भुरावली	618/04-04-1986
27.	तिलहन उत्पादक, खेराकला	746/24-03-1988
28.	तिलहन उत्पादक, रीजोनी	755/24-03-1988
29.	तिलहन उत्पादक, कोटरा	749/24-03-1988
30.	तिलहन उत्पादक, डमेजर	874/01-04-1988
31.	तिलहन उत्पादक, रजौधा	582/23-02-1985
32.	तिलहन उत्पादक, भोनपुरा	745/24-03-1988
33.	तिलहन उत्पादक, सेथराअहीर	609/31-03-1986
34.	तिलहन उत्पादक, गिरदोली	760/06-04-1988
35.	तिलहन उत्पादक, खडियाहार	576/31-03-1986
36.	तिलहन उत्पादक, लल्लूबसई	877/11-04-1989
37.	तिलहन उत्पादक, नंदगांगोली	721/11-12-1987
38.	तिलहन उत्पादक, तोरकुम्ब	592/31-03-1986
39.	तिलहन उत्पादक, कुथियाना	654/20-03-1989
40.	तिलहन उत्पादक, गोठ	570/27-12-1984
41.	तिलहन उत्पादक, थरा, (अम्बाह)	612/19-04-1988
42.	तिलहन उत्पादक, चांद का पुरा	668/20-03-1987
43.	तिलहन उत्पादक, सिरमोर का पुरा	759/29-03-1988
44.	तिलहन उत्पादक, लगडिया	954/30-09-1991
45.	तिलहन उत्पादक, खेरला	602/31-02-1986
46.	तिलहन उत्पादक, कुलहोली	605/31-03-1986
47.	तिलहन उत्पादक, कैमाराकला	730/01-03-1988
48.	तिलहन उत्पादक, लाड का पुरा	879/01-04-1989
49.	तिलहन उत्पादक, बिचौला	651/02-03-1987

1	2	3
50.	तिलहन उत्पादक, मामचौन	723/11-02-1988
51.	तिलहन उत्पादक, तिंदोखर	607/31-03-1986

यह आदेश आज दिनांक 18 फरवरी, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

उपेन्द्र सिंह
उप-पंजीयक.

(209-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 28 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत्]

क्र./परि./2013/3525.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/162, दिनांक 11 फरवरी, 2013 के द्वारा कावेरी बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, सिरपुर, पंजीयन क्रमांक 2080, दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे. किन्तु संस्था के द्वारा खरीफ 2013 में बीजोत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया. पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विपणन/2013/1080, दिनांक 09 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था को निर्देशित किया गया कि रबी 2013-14 में बीजोत्पादन कार्यक्रम लिया जाकर संस्था को कार्यशील किया जावे. किन्तु संस्था के द्वारा उक्त दोनों निर्देशों का पालन नही किया गया इससे स्पष्ट है कि—

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
2. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

अतः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/3212, खण्डवा, दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा कावेरी बीज उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्यादित, सिरपुर, पंजीयन क्रमांक 2080, दिनांक 17 दिसम्बर, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एस. के. पाटीदार, उप-अंकेक्षक, को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(233)

खण्डवा, दिनांक 28 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत्]

क्र./परि./2013/3531.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657 दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि जय राम देव बाबा सागर बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, आमोदा, पंजीयन क्रमांक 1863, दिनांक 09 अगस्त, 2002 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा को प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुये एतदद्वारा जय राम देव बाबा सागर बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, आमोदा, पंजीयन क्रमांक 1863, दिनांक 09 अगस्त, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री सुभाष चौहान, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(233-A)

खण्डवा, दिनांक 28 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत्]

क्र./परि./2013/3532.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657 दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि दीनदयाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1192, दिनांक 09 नवम्बर, 1979 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.

2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.

3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा को प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुये एतदद्वारा दीनदयाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1192, दिनांक 09 नवम्बर, 1979 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्रीमति भगवती मौरे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(233-B)

खण्डवा, दिनांक 28 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत्]

क्र./परि./2013/3533.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657 दिनांक 11 जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि अलंकार प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1573, दिनांक 21 फरवरी, 1995 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुये एतदद्वारा अलंकार प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1573, दिनांक 21 फरवरी, 1995 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एम. एल. सितलानी, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(233-C)

खण्डवा, दिनांक 28 दिसम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत्]

क्र./परि./2013/3534.—सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/657 दिनांक 11जून, 2013 से यह सूचित किये जाने पर कि दादाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, सुरगांव जोशी, पंजीयन क्रमांक 1987, दिनांक 26 जुलाई, 2007 विगत वर्षों से अकार्यशील है तथा संस्था के वित्तीय पत्रकों की पुनरावृत्ति होकर अंकेक्षण वर्गीकरण द वर्ग में वर्गीकृत की जा रही है. उक्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/1079, दिनांक 08 जुलाई, 2013 द्वारा संस्था के संचालक मण्डल/प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करते हुए सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर निम्न बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षकों को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया था उसकी पूर्ति करने में संस्था सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

निर्धारित अवधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में भी असफल रही है. इस प्रकार संस्था अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुये एतदद्वारा दादाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, सुरगांव जोशी, पंजीयन क्रमांक 1987, दिनांक 26 जुलाई, 2007 को परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था की ऑस्तियाँ एवं दायित्वों का निराकरण करने हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री एस. एस. सिसौदिया, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेशित करता हूँ कि इस आदेश के दो माह के भीतर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप-पंजीयक.

(233-D)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2014-चैत्र 14, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, मंदसौर, खरगौन, बड़वानी, सीहोर, बैतूल, जबलपुर, कटनी, सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला सिवनी में फसल गेहूँ व सिंगरौली में गेहूँ, जौ, आलू, राई-सरसों व श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, रीवा, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, धार, इन्दौर, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, कटनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला सिंगरौली, सिवनी में फसल धान व बैतूल में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) ज्वार, मूँगफली, कपास, गन्ना, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		धान, सोयाबीन, उड़द, मूँग, तुअर	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		समान.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		तिल अधिक. उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) उड़द, तिल, सोयाबीन, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. दतिया	. .		ज्वार, धान, गन्ना, बाजरा, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		मूँग.		
			(2) . .		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
*जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, समान.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघौगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) ज्वार, तुअर, गन्ना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		चना, मटर, मसूर जौ, गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .	कार्य चालू है.	4. (1) ज्वार, अरहर अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बक्सवाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मूँग,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		तिल कम.		
4. पवई	. .		(2) . .		
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) लाख, तिवड़ा, गेहूँ, चना, मटर,मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		अलसी, राई-सरसों, सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, जौ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		अरहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) . .		
4. हनुमना	. . .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		गेहूँ, मसूर, मटर समान	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .	चालू है.	4. (1) धान अधिक. राई-सरसों, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		मटर कम. कोदों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल,	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		रामतिल अधिक.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ,, जौ, आलू, राई-सरसों की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) धान, तुअर अधिक. चना, जौ, आलू कम. ज्वार, मूँग, उड़द, कोदों, राई-सरसों, अलसी, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	. .	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धड़का	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
***जिला नीमच :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) तुअर, उड़द, मूँग-मोठ, गन्ना, अधिक. कपास, मूँगफली कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .				
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर अधिक .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) ज्वार, कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भामरा	. .				
4. कट्टीवाड़ा	. .				
5. सोण्डवा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) सोयाबीन, कपास , मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
8. बरला	..				
9. अंजड	..				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) अरहर, उड़द, मूँग, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	..	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		सरसों, अलसी गन्ना.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी व	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .	खरीफ की कटाई का कार्य	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .	चालू है.	(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .	चालू है.	4. (1) धान, गन्ना, मूँग-मोठ, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसल की	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .	बोनी का कार्य चालू है.	4. (1) धान समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसल की	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	बोनी का कार्य चालू है.	4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		राई-सरसों, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदों, तुअर, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		सन सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
***जिला डिण्डोरी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .	व धान फसल की कटाई	4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .	का कार्य चालू है.	मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		मूँग कम. अलसी समान.		
4. बरघाट	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला अशोकनगर, सतना, नीमच, राजगढ़, नरसिंहपुर, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(223)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.